विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों तथा अन्य विविध प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 5 नवंबर, 2009 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 36वीं बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित करने के प्रस्तावों तथा विविध अनुरोधों पर विचार करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की छत्तीसवीं (36वीं) बैठक श्री राहुल खुल्लर, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 05 नवंबर, 2009 को कमरा नंबर 141, उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है (अनुबंध 1)।

2. अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने सूचित किया कि एसईजेड स्थापित करने के लिए अब तक 578 औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं जिसमें से 340 एसईजेड अधिसूचित किए गए हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया कि एसईजेड में 1,29,985 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है और एसईजेड में 4,18,129 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किया गया है। वर्तमान वित्त वर्ष की पहली 2 तिमाहियों के दौरान, एसईजेड से लगभग 89,751 करोड़ रुपए का कुल निर्यात किया गया है।

मद संख्या 36.1 : अधिकृत गतिविधियों आदि जैसे मामलों पर विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड की एक उप समिति को शक्तियों का प्रत्यायोजन

राजस्व विभाग इस समिति के गठन के पक्ष में नहीं था क्योंकि उसका यह अभिमत है कि इससे केवल अनुमोदन बोर्ड के कार्य की द्विरावृत्ति होगी। इसके अलावा, उन्होंने यह भी बताया है कि उप समिति की बैठकों जिसका आयोजन प्रत्येक सप्ताह में एक बार करने का प्रस्ताव है, के लिए प्रस्तावों की विस्तार से पूर्व जांच संभव नहीं हो सकती है। उन्होंने यह भी बताया है कि एजेंडा के प्रस्तावों की समुचित विस्तार के साथ जांच के बगैर ऐसी बैठकों में कोई भागीदारी उपयोगी नहीं हो सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि यह आवश्यक है कि ऐसी बैठकों के लिए विकास आयुक्तों के साथ ही सभी प्रतिनिधि विभाग उपस्थित हों, जिनके बगैर कोई निर्णय संभव नहीं हो सकता है। अनुमोदन बोर्ड एक मात्र ऐसा फोरम है जो इस तरह का एकल खिड़की अवसर प्रदान करता है और इसलिए राजस्व विभाग मौजूदा व्यवस्था को हल्का करने के पक्ष में नहीं है। इसलिए, अनुमोदन बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि इस मुद्दे पर निर्णय आस्थगित किया जाए।

मद संख्या 36.2 : सेवा कर के प्रतिदाय के प्रयोजनार्थ विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में विकासकों / सह विकासकों / यूनिटों द्वारा किए गए अधिकृत प्रचालनों के लिए एसईजेड के बाहर उपभोग की गई सेवाओं की डिफाल्ट सूची तैयार करना

राजस्व विभाग के अनुरोध पर मद को आस्थगित कर दिया गया क्योंकि बताया गया कि वे अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विचार किए जाने से पूर्व राजस्व विभाग को प्रस्ताव से अवगत कराएंगे।

मद संख्या 36.3 : जोन के विस्तार के लिए कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र का अनुरोध

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने बताया कि मौजूदा सीएसईजेड उद्योग से मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह अपर्याप्त है। तद्नुसार, एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है। शुरू में प्रस्ताव किया गया कि सन्निकटता की शर्त में छूट प्रदान की जा सकती है क्योंकि प्रस्तावित भूमि मौजूदा सीएसईजेड से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। तथापि, पुनर्विचार करने पर प्रस्ताव किया गया कि अधिग्रहीत की जा रही भूमि पर एक नए एसईजेड की स्थापना की जा सकती है। यह देखते हुए कि केरल में भूमि प्राप्त करना बहुत ही कठिन कार्य है, बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है, हालांकि प्रस्तावित अधिग्रहण केवल 150 से 180 एकड़ के बीच है। राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने यह राय व्यक्त की कि यदि अनुमोदन बोर्ड द्वारा इस मामले पर विचार किया जाना है तो एसईजेड नियमावली में प्रावधान के अनुसार भूमि की न्यूनतम आवश्यकता तथा सन्निकटता की शर्त का पालन करना होगा। तथापि, टिप्पणी की गई कि चूंकि यह जोन केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किया जा रहा है और विनिर्माण यूनिटों की स्थापना के लिए स्थान की मांग हो रही है इसलिए प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात वाणिज्य विभाग इस मुद्दे पर अपनी राय निर्धारित करेगा।

मद संख्या 36.4 : एसईजेड की स्थापना :

(क) औपचारिक अनुमोदनों के लिए निर्णय :

1. कोयंबटूर जिला, तमिलनाडु में 11.0388 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (एलएंडटी) का अनुरोध (मद संख्या 36.4 - क्रमांक i) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने कोयंबटूर जिला, तमिलनाडु में 11.0388 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (एलएंडटी) के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 36 मद संख्या 5 : सह विकासकों के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा सह विकासक के लिए सभी संस्वीकृत प्रस्ताव इस शर्त के अधीन हैं कि पट्टा करार के विशिष्ट नियमों और शर्तों का लागू आयकर अधिनियम एवं नियमावली के तहत कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ लीज रेंटल / डाउन पेमेंट / प्रीमियम आदि के रूप में आय के संव्यवहार से कोई सरोकार नहीं होगा। कर निर्धारण अधिकारी को आयकर अधिनियम के तहत इन राशियों की कराधेयता की जांच करने का अधिकार होगा। यह नीचे उल्लिखित सह विकासकों के सभी मामलों पर लागू है :

(i) सिपकॉट द्वारा इरुंगट्टोकोट्टई, श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में विकसित फुटवियर और लेदर उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सिपकॉट द्वारा इरुंगट्टोकोट्टई, श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में विकसित फुटवियर और लेदर उत्पाद एसईजेड में फुटवियर एवं लेदर उत्पाद प्रौद्योगिकी, डिजाइन, परीक्षण एवं रिटेल तथा फैशन प्रबंध के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए सह विकासक के लिए मैसर्स फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ii) भड़ूच, गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड द्वारा विकसित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने भड़ूच, गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में गैस के पारेषण के लिए गैस पाइप लाइन अवसंरचना के विकास के लिए उक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iii) खराडी गांव, मुलशी तालुक, पुणे जिला, महाराष्ट्र में मैसर्स एयॉन खराडी इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स मैपलट्री मारीशस 2 लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने खराडी गांव, मुलशी तालुक, पुणे जिला, महाराष्ट्र में मैसर्स एयॉन खराडी इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में लगभग 1.8 मिलियन वर्गफीट (1800000 वर्गफीट) के निर्मित क्षेत्र के विकास, प्रबंध, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए उक्त एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स मैपलट्री मारीशस 2 लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 36.6 : क्षेत्र परिवर्तित करने / क्षेत्र की ब्राड बैंडिंग के लिए अनुरोध

(i) सेक्टर की ब्राड बैंडिंग / परिवर्तन के लिए मैसर्स स्पैन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने सेक्टर को "आईटी / आईटीईएस एसईजेड" से बदलकर "आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर एसईजेड" करने के लिए मैसर्स स्पैन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ii) उडुपी कंकसा, पानागढ़, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल में आईटी / आईटीईएस क्षेत्र को सौर ऊर्जा उपकरण / सेल सहित गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए मैसर्स एनफील्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने सेक्टर को "आईटी / आईटीईएस" से बदलकर "सौर ऊर्जा उपकरण / सेल सहित गैर परंपरागत ऊर्जा" करने के लिए मैसर्स एनफील्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iii) सेक्टर की ब्राड बैंडिंग / परिवर्तन के लिए मैसर्स पुणे एंबेसी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने सेक्टर को "आईटी / आईटीईएस" से बदलकर "आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर" करने / ब्राड बैंडिंग के लिए मैसर्स पुणे एंबेसी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iv) बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए वर्तमान क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर को शामिल करके क्षेत्र को परिवर्तित करने के लिए मैसर्स मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने सेक्टर को "आईटी / आईटीईएस" से बदलकर "आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर" करने / ब्राड बैंडिंग के लिए मैसर्स मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 36.7 : अनुमोदन को वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की कि औपचारिक अनुमोदनों की वापसी के लिए निम्निलिखित मामले विकास आयुक्त द्वारा इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन होंगे कि इन एसईजेड ने कोई रियायत / ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया है।

(i) गधिंगलज जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र में मेटल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए मैसर्स ग्रेमैच इनफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को प्रदान किया गया औपचारिक अनुमोदन वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए मैसर्स ग्रेमैच इनफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ii) चेंगलपेट, जिला कांचीपुरम, तमिलनाडु में सेवाओं के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए मैसर्स ईटीएल इनफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड को प्रदान किया गया औपचारिक अनुमोदन वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए मैसर्स ईटीएल इनफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iii) नंबर 5, सीएमडीए इंडस्ट्रियल एस्टेट मरामलाई नगर कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए मैसर्स स्पेल सेमीकंडक्टर लिमिटेड को प्रदान की गई औपचारिक मंजूरी को वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए मैसर्स स्पेल सेमीकंडक्टर लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iv) मंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए मैसर्स नितेश एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए मैसर्स नितेश एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(v) जालना औद्योगि क्षेत्र, जालना, महाराष्ट्र में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम को प्रदान की गई औपचारिक मंजूरी को वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(vi) कंकसा, पानगढ़, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए मैसर्स एनफील्ड रियल्टर्स लिमिटेड को प्रदान की गई औपचारिक मंजूरी को वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए मैसर्स एनफील्ड रियल्टर्स लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(vii) तहसील राजपुरा, जिला पटियाला, पंजाब में टेक्सटाइल क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स मृदुल इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान की गई औपचारिक मंजूरी वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए मैसर्स मृदुल इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(viii) तहसील राजपुरा, जिला पटियाला, पंजाब में इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स विविध इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान की गई औपचारिक मंजूरी वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए मैसर्स विविध इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ix) मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवपलमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी) द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक मैसर्स अभिजीत एमएडीसी नागपुर एनर्जी लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने सह विकासक के रूप में मैसर्स अभिजीत एमएडीसी नागपुर एनर्जी लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया तथा यह भी नोट किया कि वे यूनिट में परिवर्तित हो रहे हैं जिसके मामले में अब तक के उनके निर्यात को यूनिट के रूप में एनएफई की गणना के लिए शामिल किया जाएगा।

(x) काकानाड, केरल में मैसर्स इनफोपार्क द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड को प्रदान की गई औपचारिक मंजूरी को वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि अब विकासक ने औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के अनुरोध को वापस ले लिया है।

मद संख्या 36.8 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रत्येक मामले में वैधता अवधि की समाप्ति के बाद एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया :

(i) चिरावत गांव, रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र में रत्न एवं आभूषण एसईजेड के लिए 24 अक्टूबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड का अनुरोध

(ii) विलायत जीआईडीसी, वागरा तालुक, भड़ूच जिला, गुजरात में रसायन एसईजेड के लिए 20 अगस्त 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स जुबिलिएंट इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

(iii) गांधीनगर, गुजरात में ईएचटीपी / आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 12 जुलाई 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) का अनुरोध

(iv) अहमदाबाद, गुजरात में अपैरल एसईजेड के लिए 11 जुलाई 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) का अनुरोध

(v) कोलापट्टी गांव, कोयंबटूर जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 24 अक्टूबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स बन्नारी टेक्नो पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(vi) अट्टीप्रा गांव, त्रिवेंद्रम तालुक, त्रिवेंद्रम जिला, केरल में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 19 जनवरी 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स इेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क्स-केरल का अनुरोध

(vii) वल्लनचेरी गांव, चैंगलपेट तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर एसईजेड के लिए 24 अक्टूबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स अरुण एक्सेलो इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(viii) केसरपल्ली, गन्नावरम मंडल, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 21 जून 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एन एंड टी हाइटेक सिटी लिमिटेड का अनुरोध

मद संख्या 36.9 : क्षेत्रफल बढ़ाने / घटाने के लिए अनुरोध

(i) कोयंबटूर के पास कीरांथम गांव, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स कोयंबटूर हाइटेक इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 47.32 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित एसईजेड में 3.93.5 हेक्टेयर की वृद्धि करके क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स कोयंबटूर हाइटेक इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 51.25.5 हेक्टेयर हो जाएगा।

(ii) कंकसा, पानागढ़, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल में सौर ऊर्जा उपकरण / सेल सहित गैर परंपरागत ऊर्जा एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स एनफील्ड एनर्जी लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित एसईजेड में 11.42 हेक्टेयर की वृद्धि करके क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स एनफील्ड एनर्जी लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 21.54 हेक्टेयर हो जाएगा।

(iii) गुड़गांव, हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए मैसर्स मायर इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 12.4928 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित एसईजेड में 2.59 हेक्टेयर की वृद्धि करके क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स मायर इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 15.08 हेक्टेयर हो जाएगा।

मद संख्या 36.10 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) कोंडाकल गांव, शंकरपल्ली मंडल, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में अधिसूचित सेवा एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स लहरी इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने कोंडाकल गांव, शंकरपल्ली मंडल, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में सेवाओं के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स लहरी इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने सेवा कर छूट सहित एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अधीन प्राप्त किए गए सभी ड्यूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं।

मद संख्या 36.11 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने अधिकृत प्रचालनों के प्रस्तावों पर विचार किया तथा अनुमोदन प्रदान करते समय ये 24 अक्टूबर 2008 को आयोजित ईजीओएम बैठक द्वारा अनुमोदित विकास दिशानिर्देश के अधीन थे जिन्हें 8 दिसंबर 2008 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा नोट किया गया। तद्नुसार, विकास आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिकृत प्रचालन दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

(i) डीएलएफ साइबर सिटी, गुड़गाव, हरियाणा में मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटी लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया तथा निदेश दिया कि विकास आयुक्त, नोएडा तथा विकास आयुक्त / निदेशक, एसटीपीआई विकासक द्वारा किए गए प्रस्ताव को समझने के लिए विकासक के परिसर का संयुक्त रूप से निरीक्षण करें। यदि प्रस्ताव अधिकृत प्रचालनों की डिफाल्ट सूची के अंतर्गत आएगा तो विकास आयुक्त उपयुक्त ढंग से उसका निस्तारण करेंगे।

(ii) साई गांव, पनवेल तालुक, रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र में एफटीडब्ल्यूजेड एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स अर्शिया इंटरनेशनल लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लेख के अनुसार अधिकृत गतिविधियाँ को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	अनुमोदित मात्रा
1.	तुला सेतु - 03 (तीन) प्रत्येक के लिए 300 वर्गमीटर दो प्रसंस्करण क्षेत्र में एक गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में	03 (तीन) प्रत्येक के लिए 300 वर्गमीटर दो प्रसंस्करण क्षेत्र में एक गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में
2.	पेट्रोल पंप / ईंधन स्टेशन - 2 (दो) (1850 वर्गमीटर प्रत्येक) एक प्रसंस्करण क्षेत्र में एक गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में	02 (दो) प्रत्येक के लिए 1850 वर्गमीटर एक प्रसंस्करण क्षेत्र में एक गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में

(iii) तूतीकोरीन जिला, तमिलनाडु में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स सीसीसीएल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लेख के अनुसार अधिकृत गतिविधियाँ को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

प्रसंस्करण क्षेत्र :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	भवन क्षेत्र वर्गमीटर में	अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)
1	परीक्षण प्रयोगशाला	2000	2000
2	ट्रक तौल स्टेशन	100	100
3	आइस मेकिंग प्लांट	2400	2400

4	कोल्ड स्टोरेज प्लांट	10000	10000
5	साझी विभासन सुविधा	3000	3000
6	सेंट्रल वेयरहाउसिंग / डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर	20000	20000
7	डीज़ल जेनरेटर	3600	3600
8	स्टीम जेनरेटर	3600	3600
9	वाच टावर सहित सिक्योरिटी / अक्सेस कंट्रोल सिस्टम	1000	1000
10	प्रशासन / प्रबोधन / इनहाउस प्रशिक्षण केन्द्र	7500	7500
11	रिचार्जिंग स्टेशन तथा अनुरक्षण भवन के साथ शटल ट्रांजिट सिस्टम एवं कार / बस टर्मिनल	1000	1000
12	ट्रकर्स / ड्राइवर्स लांज	250	250
13	कैफेटीरिया (फुल सर्विस) / वेंडर्स फूड कोर्ट	6600	6600

(iv) तारामणि, चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स ट्रिल इनफोपार्क लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को अस्वीकार करने का निर्णय लिया।

(v) सोहना तहसील, गुड़गांव जिला, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स जीएचआई फिनलीज एंड इनवेस्टमेंट्स लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा नोट किया कि विभिन्न अधिकृत प्रचालनों के लिए प्रस्तावित क्षेत्रों के लिए विकास आयुक्त, नोएडा और विकास आयुक्त / निदेशक, एसटीपीआई से इनपुट की आवश्यकता है और विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने कोई निर्णय लेने से पूर्व उनके संयुक्त निरीक्षण के बाद उनसे इनपुट प्राप्त करने का निर्णय लिया। तद्नुसार, प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।

(vi) कोयंबटूर, तमिलनाडु में मैसर्स स्पैन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स रतिनाम अरुमुगम रिसर्च एंड एजुकेशनल फाउंडेशन का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा नोट किया कि विभिन्न अधिकृत प्रचालनों के लिए प्रस्तावित क्षेत्रों के लिए विकास आयुक्त, एमईपीजेड और विकास आयुक्त / निदेशक, एसटीपीआई से इनपुट की आवश्यकता है और विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने कोई निर्णय लेने से पूर्व उनके संयुक्त निरीक्षण के बाद उनसे इनपुट प्राप्त करने का निर्णय लिया। तद्नुसार, प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।

(vii) भड़ूच, गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड द्वारा विकसित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स दाहेज हास्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि दाहेज एसईजेड में अतिथि सत्कार की सेवाओं के लिए दो अनुमोदित सह विकासक हैं। उसने विकास आयुक्त, दाहेज को दोनों प्रस्तावों का अध्ययन करने तथा सिफारिशें भेजने का निदेश दिया, जिस पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया जा सके। तद्नुसार, प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।

(viii) गौतमबुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लेख के अनुसार अधिकृत गतिविधियाँ को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

प्रसंस्करण क्षेत्र :

क्र. सं.	**अधिकृत प्रचालन**	**क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)**	**अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)**
1.	ईंधन भंडारण एवं वितरण प्रणाली	462	462
2.	कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे कि आटोमेटेड टेलर मशीन, शॉपिंग स्टाल, लाइब्रेरी	8289	8289
3.	कैंटीन, कैफेटीरिया, फूड कोर्ट, कॉफी शॉप, आइसक्रीम पार्लर, जूस कार्नर, रिटेल स्पेस सहित फूड सर्विस	20587	20587
4.	लैंडस्केपिंग	27775	27775
5.	गेस्ट ब्लॉक जिसमें लगभग 300 कमरे होंगे	17374	17374
6.	क्लब हाउस, हेल्थ क्लब तथा स्वीमिंग पूल सहित मनोरंजन की सुविधाएं	4131	4131

(ix) बंगलौर, कर्नाटक में आईटी एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लेख के अनुसार अधिकृत गतिविधियाँ को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

प्रसंस्करण क्षेत्र :

क्र. सं.	**अधिकृत प्रचालन**	**क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)**	**अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)**
1.	ईंधन भंडारण एवं वितरण प्रणाली	116	116
2.	कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे कि आटोमेटेड टेलर मशीन, शॉपिंग स्टाल, लाइब्रेरी	2075	2075
3.	कैंटीन, कैफेटीरिया, फूड कोर्ट, कॉफी शॉप, आइसक्रीम पार्लर, जूस कार्नर, रिटेल स्पेस सहित फूड सर्विस	4700	4700
4.	रिटेल स्पेस	500	500
5.	लैंडस्केपिंग	7000	7000
6.	क्लब हाउस, हेल्थ क्लब सहित मनोरंजन की सुविधाएं	1050	1050

(x) हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में आईटी एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लेख के अनुसार अधिकृत गतिविधियाँ को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

प्रसंस्करण क्षेत्र :

क्र. सं.	**अधिकृत प्रचालन**	**क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)**	**अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)**
1.	ईंधन भंडारण एवं वितरण प्रणाली	116	116
2.	कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे कि आटोमेटेड टेलर मशीन, शॉपिंग स्टाल, लाइब्रेरी	2075	2075
3.	कैंटीन, कैफेटीरिया, फूड कोर्ट, कॉफी	5200	5200

	शॉप, आइसक्रीम पार्लर, जूस कार्नर सहित फूड सर्विस		
4.	रिटेल स्पेस	500	500
5.	लैंडस्केपिंग	4000	4000
6.	गेस्ट ब्लॉक जिसमें लगभग 100 कमरे होंगे	6100	6100
7.	क्लब हाउस सहित मनोरंजन की सुविधाएं	1050	1050

(xi) नागपुर, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स सुयोग रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा नोट किया कि विभिन्न अधिकृत प्रचालनों के लिए प्रस्तावित क्षेत्रों के लिए विकास आयुक्त, एसईईपीजेड और विकास आयुक्त / निदेशक, एसटीपीआई से इनपुट की आवश्यकता है और विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने कोई निर्णय लेने से पूर्व उनके संयुक्त निरीक्षण के बाद उनसे इनपुट प्राप्त करने का निर्णय लिया। तद्नुसार, प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।

(xii) डीएलएफ साइबर सिटी, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा नोट किया कि विभिन्न अधिकृत प्रचालनों के लिए प्रस्तावित क्षेत्रों के लिए विकास आयुक्त, एनएसईजेड और विकास आयुक्त / निदेशक, एसटीपीआई से इनपुट की आवश्यकता है और विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने कोई निर्णय लेने से पूर्व उनके संयुक्त निरीक्षण के बाद उनसे इनपुट प्राप्त करने का निर्णय लिया। तद्नुसार, प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।

मद संख्या 36.12 : एलओए की शर्तों में ढील देने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

डीजीईपी ने बताया कि मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त, मुंबई ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसके अनुसार प्रस्ताव का समर्थन नहीं करना है क्योंकि इससे पिछला अनुमोदन हल्का हो जाएगा जो अपने आप में सन्निकटता प्रदान करने की दृष्टि से सामान्य प्रस्ताव से हल्का था। अनुमोदन बोर्ड द्वारा यह अनुरोध किया गया कि 2000 हेक्टेयर की सन्निकट भूमि प्राप्त करना बहुत लंबा आर्डर है। आर्थिक मंदी के इन दिनों में यह आवश्यक है कि इस प्रमुख अवसंरचना में निवेशक का हित बना रहे। यह उचित होगा कि मुद्दे का समाधान वार्ता के माध्यम से किया जाए। तद्नुसार अनुमोदन बोर्ड ने

निदेश दिया कि एसईईपीजेड के विकास आयुक्त तथा नवी मुंबई एसईजेड के विकास आयुक्त व्यवहार्य समाधान की तलाश करने के लिए मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त, मुंबई के साथ बैठक करें।

मद संख्या 36.13 : अतिरिक्त फाटकों के लिए अनुरोध

(i) बंगलौर, कर्नाटक में उनके आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर एसईजेड में मल्टी इंट्री / एग्जिट प्वाइंट के लिए मैसर्स विकास टेलीकाम लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त / निदेशक, एसटीपीआई को अतिरिक्त फाटकों की वास्तविक आवश्यकता का पता लगाने के लिए निरीक्षण करने का निदेश दिया, जिसके आधार पर अनुमोदन बोर्ड प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। तद्नुसार, प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।

मद संख्या 36.14 : सैद्धांतिक अनुमोदन की दूसरी बार अवधि बढ़ाना

अनुमोदन बोर्ड ने पिछली बार बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति की तारीख से मैसर्स नासिक मल्टी सर्विसेज एसईजेड लिमिटेड और मैसर्स एसईजेड इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपर के संबंध में दूसरी बार वैधता अवधि बढ़ाई।

(ii) सैद्धांतिक अनुमोदन की तीसरी बार अवधि बढ़ाना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि मौजूदा एसईजेड नियमावली के अंतर्गत सैद्धांतिक अनुमोदनों के संबंध में तीसरी बार अवधि बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है, हालांकि नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव है जिसमें कुछ समय लग सकता है। तथापि, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विचाराधीन तीन एसईजेड बहु उत्पाद एसईजेड हैं तथा चौथा एसईजेड इंजीनियरिंग एसईजेड है, भूमि का अधिग्रहण एक बड़ी बाधा है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने इन विकासकों द्वारा फार्म 'ए' दाखिल किए जाने तथा संबंधित राज्य सरकार की सिफारिशें भी प्राप्त करने के अधीन पिछली बार बढ़ाई गई अवधि समाप्त होने की तिथि से नए सिरे से अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(i) मुंबई एसईजेड लिमिटेड, खोप्टा, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र
(ii) महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, कारला, महाराष्ट्र
(iii) तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जिला कृष्णागिरि, तमिलनाडु
(iv) पुणे हाईटेक इनफ्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिला सतारा, महाराष्ट्र

मद संख्या 36.15 : सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि पहली बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) कांडला, गुजरात में एफटीडब्ल्यूजेड एसईजेड के सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एलएमजे वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा नोट किया गया कि विकासक ने अनुमोदन की तिथि की समाप्ति के बाद सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने में विलंब को माफ करते हुए अनुमोदन की अवधि समाप्त होने की तिथि से एक साल की अगली अवधि के लिए विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या 36.16 : सरकारी / रक्षा उपक्रम की डीटीए यूनिट से जॉब वर्क प्रोसेसिंग के लिए विशेष अनुमति प्रदान करने हेतु मैसर्स एसई फोर्ज लिमिटेड, बड़ोदरा, गुजरात में मैसर्स सुजलोन इंजीनियरिंग एसईजेड द्वारा इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में यूनिट का अनुरोध

एटीवी कार्यक्रम के अपरिहार्य तात्कालिक तैयारी कार्य की प्रगति के लिए तथा इस तथ्य की वजह से भी रक्षा मंत्रालय द्वारा दबाव डाले जाने पर फाइल पर प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई कि राजस्व विभाग ने कुछ शर्तों के अधीन प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। अनुमोदन बोर्ड द्वारा निर्णय की पुष्टि की गई।

मद संख्या 36.17 मैसर्स एस्सार स्टील लिमिटेड, हजीरा, गुजरात में एस्सार एसईजेड की यूनिट द्वारा मांगा गया स्पष्टीकरण

विकास आयुक्त, केएएसईजेड द्वारा सूचित किया गया कि विकासक ने अपना अनुरोध वापस ले लिया है। तदनुसार, इस मद को वापस ली गई मद के रूप में लिया गया।

******

अनुबंध I

वाणिज्य सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 5 नवंबर, 2009 को आयोजित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए अनुमोदन बोर्ड की बैठक के प्रतिभागियों की सूची

1. श्री राहुल खुल्लर, बीओए अध्यक्ष एवं सचिव, वाणिज्य विभाग
2. श्रीमती प्रवीण महाजन, महानिदेशक (ईपी), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
3. श्री रमन चोपड़ा, निदेशक (आईटीए), सीबीडीटी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
4. श्री गुरदीप सिंह, अपर निदेशक, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
5. श्री संजीव के जिंदल, उप सचिव, वित्तीय सेवा विभाग
6. श्री एल बी सिंघल, डीजी, ईओयू एवं एसईजेड की निर्यात संवर्धन परिषद
7. श्री श्यामलाल मिसिया, उप सचिव, डीआईपीपी
8. सुश्री शुभ्रा, संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार, डीजीएफटी
9. श्री एन के सरवाल, अवर सचिव (समन्वय), रक्षा मंत्रालय
10. श्री एस के अग्रवाल, सहायक निदेशक (ईपी), एमएसएमई मंत्रालय
11. श्री सुजीत गुलाटी, उद्योग आयुक्त, सरकार गुजरात
12. श्रीमती नंदिनी अवाडे, एआरसी, महाराष्ट्र सरकार
13. श्री आर के शर्मा, अपर निदेशक, उद्योग और वाणिज्य विभाग, हरियाणा सरकार
14. सुश्री मंजूनाथ गौड़ा, रेजीडेंट निदेशक, कर्नाटक सरकार
15. श्री आनंद कुमार, रेजिडेंट कमिश्नर, केरल सरकार

विकास आयुक्तों की सूची

16. श्री अजय मित्तल, विकास आयुक्त, एमईपीजेड एसईजेड, चेन्नई
17. श्रीमती माया डी केम, विकास आयुक्त, एमपीएसईजेड मुंद्रा, गुजरात
18. श्री एम वी सुब्बा रेड्डी, विकास आयुक्त, वीएसईजेड, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश
19. श्री ए के बिट, विकास आयुक्त, फाल्टा एसईजेड, कोलकाता
20. श्री सुरेश चंद्र पांडा, विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड, उत्तर प्रदेश
21. श्री सी जे मैथ्यू, विकास आयुक्त, सीएसईजेड, कोचीन
22. श्रीमती अनीता अग्निहोत्री, विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड, मुंबई
23. श्री एस के बंसल, विकास आयुक्त, आईएसईजेड, इंदौर, मध्य प्रदेश
24. श्री आर जे शाह, विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड, गांधीनगर
25. श्री महेंद्र जैन, विकास आयुक्त, नवी मुंबई एसईजेड, मुंबई
26. श्री के एल शर्मा, विकास आयुक्त, स्टर्लिंग एसईजेड
27. श्री एस किशोर, विकास आयुक्त, एपी एसईजेड
28. श्री एस एन पाटिल, संयुक्त विकास आयुक्त, दहेज एसईजेड
29. श्री ओंकार राय, विकास आयुक्त (आईटी / आईटीईएस), नई दिल्ली

30. श्री सी वी डी रामप्रसाद, विकास आयुक्त (आईटी / आईटीईएस), एसईजेड, नोएडा
31. श्री जे पार्थसारथी, विकास आयुक्त (आईटी / आईटीईएस), एसईजेड, चेन्नई
32. श्री पी वेणुगोपाल, विकास आयुक्त (आईटी / आईटीईएस), हैदराबाद

वाणिज्य विभाग के प्रतिभागियों की सूची

33. श्री डी के मित्तल, अपर सचिव,, वाणिज्य विभाग
34. डॉ आर के मित्रा, निदेशक, वाणिज्य विभाग
35. श्री टी श्रीनिधि, निदेशक, वाणिज्य विभाग
36. श्री आर के पांडे, अवर सचिव, वाणिज्य विभाग
37. श्री विनोद कुमार, अनुभाग अधिकारी, एसईजेड अनुभाग, वाणिज्य विभाग
38. श्री अचिंत कुमार, अनुभाग अधिकारी, एसईजेड अनुभाग, वाणिज्य विभाग